

# जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

क्रमांक: जीवि/एफ/अकादमी/2020/1078

दिनांक: 22.05.2020

// कार्यालयीन आदेश //

कोविड-19 महामारी के फैलाव की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये विगत लगभग दो माह से कार्यालय बन्द है जिसके कारण कार्यालयीन गतिविधियां भी स्थगित हैं।

2017 तक पंजीकृत ऐसे समस्त शोधार्थी जिन्हें अपना शोध प्रबंध इस अवधि में प्रस्तुत करना था अथवा जिन्हें अपना शोध प्रबंध पूर्ण करने के लिये समयावधि में बढोत्तरी अथवा पुनः पंजीयन कराना था लेकिन वे कार्यालय बन्द होने के कारण अपना आवेदन/अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, वे अपना शोध प्रबंध अथवा आवेदन दिनांक 30.06.2020 तक बिना किसी पेनल्टी के जमा कर सकते हैं।

यद्यपि उक्त आशय के आदेश विश्वविद्यालय की वेब साइट पर पूर्व में ही प्रसारित कर दिये गये थे तथापि समस्त शोधार्थियों की सुविधा के लिये पुनः आदेशित किया जाता है कि वे उक्त कार्य हेतु अपना आवेदन किसी भी कार्य दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें तथा इस संबंध में किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सहायता हेतु शोध शाखा प्रभारी श्री सोनपाल मोबाइल क्रमांक- 8770568501 से सम्पर्क करें।

3mm13  
कुलसचिव,

प्रति,

समस्त शोधार्थी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त शोध मार्गदर्शक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
4. श्री संजय बरतरिया की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यालयीन आदेश को विश्वविद्यालय की वेब साइट पर प्रकाशित करें।

उप-कुलसचिव(अकादमी)

# जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

क्रमांक: जीवि/एफ/अकादमी/2020/1078

दिनांक: 22.05.2020

// कार्यालयीन आदेश //

कोविड-19 महामारी के फैलाव की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये विगत लगभग दो माह से कार्यालय बन्द है जिसके कारण कार्यालयीन गतिविधियां भी स्थगित हैं।

2017 तक पंजीकृत ऐसे समस्त शोधार्थी जिन्हें अपना शोध प्रबंध इस अवधि में प्रस्तुत करना था अथवा जिन्हें अपना शोध प्रबंध पूर्ण करने के लिये समयावधि में बढोत्तरी अथवा पुनः पंजीयन कराना था लेकिन वे कार्यालय बन्द होने के कारण अपना आवेदन/अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, वे अपना शोध प्रबंध अथवा आवेदन दिनांक 30.06.2020 तक बिना किसी पेनल्टी के जमा कर सकते हैं।

यद्यपि उक्त आशय के आदेश विश्वविद्यालय की वेब साइट पर पूर्व में ही प्रसारित कर दिये गये थे तथापि समस्त शोधार्थियों की सुविधा के लिये पुनः आदेशित किया जाता है कि वे उक्त कार्य हेतु अपना आवेदन किसी भी कार्य दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें तथा इस संबंध में किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सहायता हेतु शोध शाखा प्रभारी श्री सोनपाल मोबाइल क्रमांक- 8770568501 से सम्पर्क करें।

3mm13  
कुलसचिव,

प्रति,

समस्त शोधार्थी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त शोध मार्गदर्शक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
4. श्री संजय बरतरिया की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यालयीन आदेश को विश्वविद्यालय की वेब साइट पर प्रकाशित करें।

उप-कुलसचिव(अकादमी)

# जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

क्रमांक: जीवि/एफ/अकादमी/2020/1078

दिनांक: 22.05.2020

// कार्यालयीन आदेश //

कोविड-19 महामारी के फैलाव की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये विगत लगभग दो माह से कार्यालय बन्द है जिसके कारण कार्यालयीन गतिविधियां भी स्थगित हैं।

2017 तक पंजीकृत ऐसे समस्त शोधार्थी जिन्हें अपना शोध प्रबंध इस अवधि में प्रस्तुत करना था अथवा जिन्हें अपना शोध प्रबंध पूर्ण करने के लिये समयावधि में बढ़ोत्तरी अथवा पुनः पंजीयन कराना था लेकिन वे कार्यालय बन्द होने के कारण अपना आवेदन/अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, वे अपना शोध प्रबंध अथवा आवेदन दिनांक 30.06.2020 तक बिना किसी पेनल्टी के जमा कर सकते हैं।

यद्यपि उक्त आशय के आदेश विश्वविद्यालय की वेब साइट पर पूर्व में ही प्रसारित कर दिये गये थे तथापि समस्त शोधार्थियों की सुविधा के लिये पुनः आदेशित किया जाता है कि वे उक्त कार्य हेतु अपना आवेदन किसी भी कार्य दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें तथा इस संबंध में किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सहायता हेतु शोध शाखा प्रभारी श्री सोनपाल मोबाइल क्रमांक- 8770568501 से सम्पर्क करें।

३००१३  
कुलसचिव,

प्रति,

समस्त शोधार्थी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त शोध मार्गदर्शक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
4. श्री संजय बरतरिया की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यालयीन आदेश को विश्वविद्यालय की वेब साइट पर प्रकाशित करें।

उप-कुलसचिव(अकादमी)